(वाद संख्या–5041/18)

23.02.2021

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, शशिकांत कुमार के बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी, पटना के कार्यालय में कार्य करने के संबंध में कार्यानुभव प्रमाण–पत्र व लंबित मानदेय के भुगतान से संबंधित है।

बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी, पटना के उप निदेशक, (परियोजना) द्वारा राज्य आयोग को सूचित किया गया है कि राज्य आयोग के दिनांक–04.11.2020 को पारित अनुशंसा के आलोक में श्री शशिकांत कुमार के दिनांक–01.12.2017 से दिनांक–04.12.2018 तक के लंबित मानदेय का भुगतान उनके द्वारा सोसाईटी को उपलब्ध कराये गये बैंक खाता में Online कर दिया गया है साथ ही साथ सोसाईटी में उनके कार्यरत अवधि का अनुभव प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया जा चुका है।

परिवादी को बिहार बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी, पटना के उपरोक्त प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया था कि उनकी ओर से ससमय अपना प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया जायेगा तो प्रसंगाधीन मामले को बंद कर दिया जाएगा।

परिवादी की ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है। वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक